

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 19, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 09, 2026 Pausa 19, Friday, Saka 1947- January 09, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

(भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

प्रपत्र-7

प्रारम्भिक अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 28, 2025

(नियम 16 का उपनियम (1) देखें)

Rajkaj 19610559 :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपखण्ड क्षेत्र दाँतारामगढ़ में, संलग्न अनुसूची की सम्बद्ध सारणी के कॉलम (1) से (6) तक में तहसील-दाँतारामगढ़ जिला-सीकर के उल्लेखित 01 राजस्व ग्राम खाचरियावास के 20 खसरों के आंशिक/सम्पूर्ण भाग का 4.28 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रान्तीय महत्व की प्रस्तावित एवं राजस्थान राजपत्र विशेषांक जनवरी 17, 2025 द्वारा अधिसूचित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-08 (आंतेला) जिला जयपुर से गढ़तकनेट काँवट खण्डेला गौरिया जीणमाता खाचरियावास किमी 139/500 से 155/000 (राज्य राजमार्ग संख्या-83) पर “खाचरियावास बाईपास सड़क निर्माण परियोजना” का जनहित में निर्माण/विकास किए जाने के लिए इन आवश्यक भूमि/भूमियों की भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की धारा-11 की उपधारा (1) एवं राजस्थान सरकार के नियम 2016 के नियम-16 उपनियम (1)” के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना अत्यावश्यक है।

उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों तथा विहित प्रक्रियानुसार परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-08 (आंतेला) जिला जयपुर से गढ़तकनेट काँवट खण्डेला गौरिया जीणमाता खाचरियावास किमी 139/500 से 155/000 (राज्य राजमार्ग संख्या-83) पर “खाचरियावास बाईपास सड़क निर्माण परियोजना” से प्रभावित भूमियों/भू-भाग/क्षेत्र का अधिकृत ईकाई द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण एवं आंकलन अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाकर आमजन/हितबद्ध को सूचित कर की गई जनसुनवाई के उपरान्त नियमानुसार गठित गैर-सरकारी बहुआयामी विशेषज्ञ समूह द्वारा रिपोर्ट के किए गए परीक्षण एवं अनुशंषा के तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना का सारांश यह है कि इस परियोजना सड़क के लिए भू-अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों में से कुल शून्य (संख्या) परिवारों/कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। अतः सीकर जिले की दाँतारामगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम खाचरियावास में उक्त परियोजना सड़क के लिए 4.28 हैक्टेयर मानक माप के भूखण्ड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की अनुसूची से सम्बद्ध सारणी (सार-संक्षेप)

क्र. सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	प्रभावित भूमि	
				खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीकर	दाँतारामगढ़	खाचरियावास	20	4.28

प्रस्तावित परियोजना अन्तर्गत तहसील दाँतारामगढ़ के राजस्व ग्राम खाचरियावास की प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित हैं तथा परियोजना से सम्बन्धित जानकारी, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति कार्य दिवसों में कार्यालय भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़ से प्राप्त कर सकता है।

अनुसूची

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक प्रकार	भूमि प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	136 5/8 27	निजी	चाही 4	0.3 60 0	0.1 04 5	1. मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी वाके देह हिस्सा-पूर्ण खातेदार	84 5	82 6	13 66 / 82 7	71 2	खेजड़ी सफेदा	1 5	-	-
2	829	निजी	चाही 4	0.0 30 0	0.0 16 1	1. गणपतलाल पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार	13 65 /8 27	82 6	83 0	82 6	बबूल	3	कुआ	1
3	136 6/8 27	निजी	चाही 4	0.0 60 0	0.0 70 4	2. जगदीश पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 3. धमेन्द्रकुमार पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार	84 5	82 9	13 67 /8 27	13 65/ 82 7	बबूल सफेदा	10 12	-	-
4	136 7/8 27	निजी	चाही 4	0.0 70 0	0.0 05 9	अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार	84 5	83 0	83 0	13 66/ 82	बबूल	5	-	-

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर						
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण			
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						4. नाथीदेवी पत्नि अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 5. बद्रीप्रसाद पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 6. बिमलादेवी पुत्री अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 7. भवानीशकर पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 8. मोहनीदेवी पुत्री अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 9. राधेश्याम पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 10. शान्तीदेवी पुत्री अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह खातेदार 11. सीताराम पुत्र अर्जूनदास हिस्सा-1/11 जाति-स्वामी सा. देह				7						

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						खातेदार								
5	166	सरकारी	चारागाह	0.3100	0.0765	1. चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	167	621/1	621/1	165	-	-	-	-
6	621/1	सरकारी	चारागाह	7.6100	0.8136	1. चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	166	625	620	1400/1306	-	-	-	-
7	621/3	सरकारी	अविनिर्लि	0.5000	0.1148	1. अजमेर विधुत वितरण निगम लि खाचरियावास हिस्सा-पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि	621/1	621/1	621/1	621/1	-	-	-	-
8	625	सरकारी	चारागाह	18.1400	1.3892	1. चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	621/1	626	624	139	-	-	-	-
								632	624/7	628				
								675	6210	686				
9	683	निजी	चाही बरानी 4	2.6300	0.6658	1. नरेन्द्र पुत्र ज्ञानचन्द हिस्सा-1/2 जाति-रैगर सा. फगोडिया वाला तहसील सागानेर जिला जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास 2. राजू पुत्र ज्ञानचन्द	684	849	678	688	खेजड़ी शमबल अलू	3543	-	-

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						हिस्सा-1/2 जाति-रैगर सा. फगोडिया वाला तहसील सागानेर जिला जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास								
10	684	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.100	0.021	1. चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	685 685/ 12 99	683	625	688	-	-	-	-
11	685/1299	निजी	बारा नी 4	0.800	0.344	1. सलोनी हल्दुनिया पुत्री बाबुलाल हल्दुनिया हिस्सा-पूर्ण जाति-धोबी मकान संख्या-00, कॉलोनी-खाचरियावास, क्षेत्र/स्थान-खाचरियावास, शहर-खाचरियावास, पिन कोड- 332710	625 686	684	625	685	खेजड़ी शीशम	43	-	-
12	688	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.400	0.125	राज. सरकार	128	845	685 683 848	707 709 711	-	-	-	-
13	709	निजी	बारा नी 4	2.430	0.005	1. गोविन्दसिंह पुत्र भूराराम हिस्सा-1/2 जाति-जाट सा. देह	707 70	710 71	688	719 71	अल्डूनी	42	-	-

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक प्रकार	भूमि प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
1	2	3	4	5	6		उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						खातेदार	5	1		2	म			
14	710	निजी	चाही 4	0.6 20 0	0.0 33 8	राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	70 9	71 1	68 8	70 9	अलडू	5	-	-
15	711	निजी	चाही 4	2.6 20 0	0.2 90 2	शाखा खाचरियावास 2. नारायणलाल पुत्र भूराराम हिस्सा-1/2 जाति-जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास,	70 9 71 0	84 5	68 8	71 2	बबूल रोहिड़ा बेर	5 1 3	-	-
16	845	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.1 50 0	0.0 26 1	राज. सरकार	71 1	13 65 /8 27	84 0	71 2	-	-	-	-
17	846	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.1 10 0	0.0 40 9	1. ग्राम पचायत खाचरियावास हिस्सा-पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि	84 7	84 5	84 4	68 8	बेर	18	-	-
18	847	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.1 10 0	0.0 60 1	1. ग्राम पचायत खाचरियावास हिस्सा-पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि	84 8	84 6	84 4	68 8	बबूल रोहिड़ा बेर	6 1 5	-	-
19	848	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.3 40 0	0.0 52 5	1. ग्राम पचायत खाचरियावास हिस्सा-पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि	84 9	84 7 84 4	85 5	68 8	बबूल अलडू	6 3	-	-

ग्राम का नाम: खाचरियावास						तहसील: दाँतारामगढ़				जिला: सीकर				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		निजी	बारा नी 4	0.1600	0.0289	1. हनुमानप्रसाद पुत्र नोलाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट सा. मून्डलीरणजीतपुरा खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास	683	848	851	688	बबूल अल्डूनीम	511	-	-
कुल योग					4.2813									

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-द्वितीय सीकर को, अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेने व स्वयं मय अधीनस्थ स्टाफ के अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, तलमापन/अन्य कोई माप करने, अवमृदा के भीतर खोदने/भेदन करने तथा वे समस्त कार्य हो धारा-12 में वर्णित हैं, को करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा-11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ना ही किसी से करवाएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर भी, अर्थात् क्रय/विक्रय, रहन, स्वरूप/शीर्षक/भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्य, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़ की बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा।

अधिनियम की धारा-15 के तहत यथा बंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार (खातेदार) को भूमि-अर्जन से सम्बन्धी कोई आपत्ति/आक्षेप यदि कोई हो, तो भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

अतः एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न अनुसूची में उल्लेखित भूमि राज्य-सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-08 (आंतेला) जिला जयपुर से गढ़तकनेट काँवट खण्डेला गौरिया जीणमाता खाचरियावास किमी 139/500 से 155/000 (राज्य राजमार्ग संख्या-83) पर “खाचरियावास बाईपास सड़क निर्माण परियोजना” के निर्माण/विकास के लिए जनहित में अर्जित किया जाना अत्यावश्यक हैं।

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।